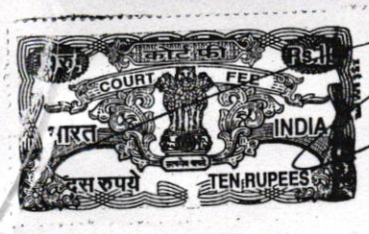

न्यायालय राजस्व मण्डल न्यायाधीश खंडपीठ ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

प्र.क्र. निग - 3171 - I - 16

तुलसीराम पुत्र तुलाराम जाति कुशवाह

आयु 42 साल धंधा कृषक निवासी ग्राम

बलियाखास तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

. . . निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

बनाम

म.प्र. शासन . . . रिस्पाडेण्ट

श्री तुलसीराम स्वयं द्वारा आज दि० 27/8/16 को प्रस्तुत

27/8/16

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

आवेदन (म.प्र.) राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी दिनांक 25.6.2016 को न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा पारित किए आदेश से दुखी व त्रस्त होकर यह अपील प्रस्तुत है :-

माननीय महोदय,

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं :- अपीलार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी वलियाखास का कृषक होकर सर्वे क्र. 138 का भूमि स्वामी है, जो कि पूर्व सर्वे नं. 98, 99, 100 को मिलाकर निर्मित किया गया था। आवेदक क्र. 2, 3, 4 आवेदक की बहिनें हैं, जिनका विवाह हो चुका है। वर्तमान में आवेदक ही इस भूमि पर काबिज होकर खेती कर कृषि उपज प्राप्त करता चला आ रहा है। सर्वे क्र. 138 में से कुछ रकबा आवेदकगण के स्वर्गीय पिता तुलाराम ने विक्रय कर दिया था, जिसके आधार पर इसी भूमि के बटान कायम किए गए थे, वर्तमान में आवेदक के पास सर्वे क्र. 138/2 है, को अलग करके नक्शे में छोटा कर दिया गया है, जबकि मौके पर पूरी जमीन पर काबिज है। आवेदक का नक्शा सन 1949 में तैयार किया गया व उसके उपरान्त 1968-69 में बंदोबस्त के दौरान तैयार किया गया नक्शा पूर्ण भिन्न है। सन 1949 में निर्मित नक्शे अनुसार आवेदक सर्वे नं. 98, 99, व 100 पर काबिज रहा था। साथ ही जब 1968-69 में राजस्व अधिकारियों ने बंदोबस्त किया तो आवेदक को बिना किसी सूचना के गलत नक्शा तैयार कर दिया है। जिसके कारण आवेदक का नक्शा की मूल भूमि से भिन्न हो गया है। जिसमें आर.आई. ग्यारसपुर द्वारा दिनांक -

तुलसीराम

..2..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3171-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/12/2018	आवेदक तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यह प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में सर्वे नं. 138 रकवा 53.2 विस्वा के नक्शा दुरुस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु टंकण की त्रुटिवश इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2018 को पारित अंतिम आदेश के पैरा 2 की द्वितीय लाईन में रकवा 53.2 के स्थान पर रकवा 53 टंकित हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है। अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2018 को पारित आदेश के पैरा 2 की द्वितीय लाईन में रकवा 53 के स्थान पर रकवा 53.2 पढ़ा जाए। यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा। **प्रशासकीय सदस्य**	तुलसीराम 4.12.18